

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं: 79/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- हलका कान्ड रामेश्वर

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हलका ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 693/496 रकबा 1-00 बीघा किस्म चावल

बारे ग्राम कासगुल पर रामेश्वर पुत्र चोवाहिह

जाति कोथ निवासी कासगुल तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2024 रबी/खरीफ में फसल हलका कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी आया

पटवारी हलका ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी रामेश्वर पुत्र चोवाहिह

जाति कोथ निवासी कासगुल को आ. ख. नं.

रकबा 4.50 वारे ग्राम से तुरन्त प्रभाव से 693/496

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 225/ (अक्षरे

रूपेय 20000) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हलका एवं भू. अभि. निको लिखा जावे ITRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफतर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

225-4
22/18

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज.